न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 58 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. जालाराम पुत्र उमाराम उम्र 40 वर्ष **बनाम**
2. रूपाराम पुत्र उमाराम उम्र 55 वर्ष
3. मु. खेमी पत्नी उमाराम उम्र 75 वर्ष
4. मूलाराम पुत्र भगवानाराम उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी केहराणी सारणों का तला (कौशलू) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

1.श्रीमती मालू पुत्री भैराराम पत्नी खेमाराम उम्र 45 वर्ष जाति जाट निवासी सणपा तहसील बायतु
2.चिमनाराम पुत्र मोटाराम उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी केहराणी सारणों का तला (कौशलू) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।
3.लाखाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी होडु तहसील सिणधरी
4.श्रीमान तहसीलदार सिणधरी
5.व्यवस्थापक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी।
6.टूगीदेवी पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिणधरी के मूल राजस्व वाद संख्या 372 / 2008 बअनवान रूपाराम बनाम श्रीमती मालु देवी वगैरा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05. 2017।

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 13.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण एवं उतरदाता संख्या 01 की संयुक्त अविभाजित आराजी खेत खसरा संख्या 312 रकबा 158.16 बीघा तथा खसरा स310 रकबा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 311 रकबा 09 बिस्वा कुल रकबा 159. 14 बीघा मौजा केहराणी सारणों का तला पटवार मण्डल कौशलू में आया हुआ है। अपीलाधीन आराजी में अपीलांट संख्या 1 से 3 का 1/8 हिस्सा, अपीलांट संख्या 4 का 1/8 हिस्सा व उतरदाता संख्या 1 का 1/8 हिस्सा था तथा इन्हीं पक्षकारान के पूर्वज भगवानाराम के एक पुत्री पदमों भी थी जिसका इस आराजी में 1/8 हिस्सा था। पदमों के द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/8 हिस्सा अपीलांट संख्या 1 से 3 के पक्ष हकतर्क कर दिया इस कारण अपीलाधीन आराजी में अपीलांट संख्या 1 से 3

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

का 1/4 हिस्सा, अपीलांट संख्या 4 का 1/8 हिस्सा, उतरदाता संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, उतरदाता संख्या 2 व 3 का 1/2 हिस्सा है। अपीलाधीन आराजी पैतृक संयुक्त खातेदारी की है मिताक्षरा कानून के अनुसार किसी सहदायिक की सहमति के बिना रहन, बय व अन्तरण करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि ऐसा रहन, बय व अन्तरण कानून आवश्यकता के लिये अथवा पिता वैध कर्जो को चुकाने हेतु आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.01.2014 को क्रेता उतरदाता संख्या 6 के द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सहपठित धारा 151 सी पी सी का पेश किया गया। जिसका अवलोकन किये बिना एवं अपीलांट को सुने बिना ही स्वीकार कर दिया गया। उसी दिन प्रतिवादी पक्ष का जबाव मय काउण्टर क्लेम पेश हुआ तथा उसी दिन संशोधित शीर्षक पेश किया गया। उतरदाता द्वारा प्रस्तुत जबाव मय काउण्टर क्लेम का जबाबबुल जबाव प्रस्तुत करने का भी अपीलांट को अवसर नहीं दिया गया। न ही तनकीयात कायत की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जल्द बाजी में आकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.01.2014 को क्रेता उतरदाता संख्या 6 के द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सहपठित धारा 151 सी पी सी का पेश किया गया। जिसका अवलोकन किये बिना एवं अपीलांट को सुने बिना ही स्वीकार कर दिया गया। अपीलांटगण को पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुकाम पांयला खुर्द में पेश होने की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं देकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की। उक्त समस्त कार्यवाही मात्र एक ही दिवस में की गई तथा अपीलाट को अपना पक्ष करने का अवसर नहीं दिया जाकर निर्णय पारित किया गया जबकि लोक अदालत में मात्र राजीनामा होने पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। दिनाकं 09.05.2017 को अपीलांटगण/वादी कैम्प कोर्ट में हाजीर नहीं थे। उनकी गैर हाजरी में वाद को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाना था। ऐसी स्थिति में वाद का मेरीट पर निस्तारण करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उतरदाता द्वारा प्रस्तुत जबाव मय काउण्टर क्लेम का जबाबबुल जबाव प्रस्तुत करने का भी अपीलांट को अवसर नहीं दिया गया। न ही तनकीयात

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कायम की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में आकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के खिलाफ है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न दृष्टांत पेश किया:-

RRT 2012(2) Page 1420

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। और सहखातेदारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव में हिस्सा बराबर-बराबर तय किया गया है। किसी का हिस्सा कम-ज्यादा नहीं किया गया। वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधिवक्ता अपीलांट अपनी तरफ से विवाद ग्रस्त भूमि के विभाजन संबंधी परिशिष्ट बनाकर न्यायालय में पेश कर दे, मुझे स्वीकार है। अपीलांटगण बंटवारें को रोकने की नियत से तथा मुझे मेरे हिस्से से वंचित रखने की नियत से मामले को लंम्बा करना चाहते है। अपीलांटगण द्वारा साफ हाथों से एवं सद्भवना के साथ न्यायालय में अपील पेश नहीं की है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 10 सहपठित धारा 151 सी पी सी पर अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी याचिका टी ए संख्या 3801/2017 रूपाराम बनाम टूगीदेवी विचाराधीन है, उक्त दोनों प्रकरण अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध है। अतः माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय तक उक्त प्रकरण की कार्यवाही रोक दी जानी उचित है।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 10 सहपठित धारा 151 सी पी सी पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा पेश मण्डल में निगरानी में हस्तगत अपील की सुनवाई को स्थगित नहीं किया गया है। स्थगित नहीं किये जाने से इस अपील में सुनवाई होना लाजमी एवं न्यायसंगत है। अतः अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्तों की प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र अवलोकन एवं बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मण्डल में विचाराधीन निगरानी में इस आशय का कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

स्थगन प्रभावी नहीं है कि अपील निस्तारण पर निगरानी में निर्णय पारित होने तक रोक लगाई जाती है। इसलिए न्यायहित में अपील की सुनवाई किया जाना उचित होगा। लिहाजा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 10 सहपठित धारा 151 सी पी सी खारिज किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट/वादीगण द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया जिस पर बाकायदा सम्मक तामीली हुई एवं बाद सुनवाई निर्णय पारित किया गया। आदेशिका दिनांक 09.05.2017 में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "जारी नोटिस तामीलसुदा प्राप्त हुऐ। वादीगण एवं उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित"। दावे में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 एवं 06 की तरफ से जबावदावा मय कांउटर क्लेम पेश किया गया इसलिए वादीगण का वाद अदम हाजरी में खारिज नहीं कर प्रस्तुत प्रतिदावा को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय हाजा द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में गुणावगुण पर निर्णय किया है, जो विधि सम्मत है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा वादी पक्ष के द्वारा उल्लेखित हिस्सों पर अपनी सहमती प्रस्तुत कर दी, ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद उनके अभिवचनों अनुसार स्वीकार कर प्रस्तुत राजस्व अभिलेख मुताबिक हक–हिस्से घोषित किये गए है। इस निर्णय में अपीलांटगण/वादीगण की आपति का कोई आधार नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील अपीलांट की अपील को खारिज करना उचित होगा।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा मूल राजस्व वाद संख्या 372/2008 बअनवान रूपाराम बनाम श्रीमती मालु देवी वगैरा में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2017 यथावत रखा जाता है।

13/5/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/5/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner